न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 32/2019(2019/00019) दिनांक 28.03.2019
अन्तर्गत धारा :– 212 आर.टी.एक्ट

शीर्षक

मोहनसिंह आत्मज भेरूसिंह राव निवासी ढोसर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

——प्रार्थी

बनाम

लक्ष्मणसिंह आत्मज कानसिंह राव निवासी ढोसर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

——विपक्षी

अधिवक्ता प्रार्थी: श्री सुनिल कुमार जैन
अधिवक्ता विपक्षी: श्री राजमल तिवारी

निर्णय दिनांक 19.03.2021

प्रार्थी ने विपक्षी के विरूद्ध उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम ढोसर पटवार हल्का ढोसर तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी एवं विपक्षी तथा वाद पत्र में संयोजित सह खातेदार प्रतिवादी संख्या एक लगायत चार के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1128 रकबा 0.48 हे0 कृषि भूमि अन्य आराजियात के साथ खाता संख्या 33 पर स्थित है।

यह कि वादग्रस्त आराजी संख्या 1128 रकबा 0.48 हे0 कृषि भूमि में प्रार्थी का 1/10 हक व हिस्सा तथा विपक्षी का 1/2 हक व हिस्सा व वाद पत्र में संयोजित प्रतिवादी संख्या एक लगायत चार का संयुक्त रूप से 2/5 हक व हिस्सा विद्यमान है।

यह कि विपक्षी वाद प्रकरण संख्या 45/2017 रे0 वाद विचाराधीन होते हुए भी वह वादग्रस्त आराजी संख्या 1128 रकबा 0.48 हे0 कृषि भूमि पर तन्हा आधिपत्य करने के दुराशय से उक्त आराजी में कच्चे पत्थरों को दिनांक 31.01.2019 को डाल दिये। प्रार्थी द्वारा जब विपक्षी को इस बाबत् पुछा गया तो विपक्षी ने प्रार्थी को धमकी देते हुए यह कहा कि वह अब उक्त आराजी पर पक्का स्थायी निर्माण के साथ उक्त आराजी पर एकल आधिपत्य करके रहेगा। जब कि विपक्षी के वाद प्रकरण 45/2017 रे0 वाद विचाराधीन होते हुए उक्त कृत्य करने का अधिकार प्राप्त नहीं है फिर भी विपक्षी उक्त कृत्य करने पर तत्पर हो रहा है। जिससे विपक्षी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक हो गया है।

यह कि प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण है व सुविधा संतुलन का बिन्दु प्रथम दृष्टया प्रमाणित है क्योंकि वादग्रस्त आराजी संख्या 1128 में प्रार्थी का 1/10 हक व हिस्सा अन्य यह खातेदार के साथ संयुक्त रूप से विद्यमान है। यदि विपक्षी अपने उक्त कृत्य को वाद प्रकरण संख्या 45/2017 रे0 वाद के विचाराधीन रहते करता है तो [illegible] भारी अपूरणीय क्षती का सामना करना पड़ेगा। साथ ही पक्षकारान [illegible] बढ़ जायेंगे। जिसका आंकलन करना संभव नहीं है। जिससे प्रार्थी के पक्ष विपक्षी के विरूद्ध ताफैसला मूलवाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जाना नितान्त आवश्यक हो गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.26 16:59:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

अतः प्रार्थना हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी के विरूद्ध विरूद्ध ताफैसला मूलवाद अरथाई निषेधाज्ञा इस आशय की पारित फरमायी जावे कि विपक्षी वादग्रस्त आराजी संख्या 1128 रकबा 0.48 हे0 पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य न तो स्वयं करें , न अपने नौकर, चाकर , एजेन्ट आदि से करावे तथा वादग्रस्त आराजी पर एकल आधिपत्य स्थापित नहीं करें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 28.03.2019 को पंजिवद्ध किया जाकर विपक्षी को सम्मन नोटिस जारी किये गये। विपक्षी के अधिक्ता उपस्थित । जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र की बिन्दु संख्या एक में वादी विपक्षी द्वारा धारा 53 काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत किया जाना स्वीकार है। उक्त वाद काश्तकारी अधिनियम की धारा 53(5) के तहत पोषनीय नहीं है अतः प्रथम दृष्टया खारिज होने योग्य है। बिन्दु संख्या 2 लगायत 8 गलत होने से अस्वीकार की है। तथा बिन्दु संख्या 9 न्यायिक है। बिन्दु संख्या 10 में प्रार्थी ने झुठा शपथ पत्र पेश किया । अतः सादर प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने बाबत निवेदन किया। विपक्षी अधिवक्ता ने दौराने बहस में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को मनगंढ़त व असत्य होना बताकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट का खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

मैनें पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। अस्थाई निषेधाज्ञा के **तीनों बिन्दुओं का विवेचन** किया गया जो इस प्रकार है:—

प्रथम दृष्टया मामला विपक्षीगण द्वारा बिना संपरिवर्तन कराये कृषि भूमि पर स्थायी निर्माण करने व मौके पर निर्माण सामग्री डाल रखी है जिससे अगर विपक्षी स्थायी निर्माण कर देता है तो प्रार्थी को भारी क्षति होगी जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

द्वितीय बिन्दु सुविधा का संतुलन:— चूंकि वाद वर्णित आराजियात का विभाजन नहीं हुआ है जिसमें प्रार्थी का 1/10 हिस्सा निहित है। अतः सुविधा व संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होती है।

तृतीय बिन्दु अपूरणीय क्षतिः— दि विपक्षी अपने उक्त कृत्य को वाद प्रकरण संख्या 45/2017 रे0 वाद के विचाराधीन रहते करता है तो प्रार्थी को भारी अपूरणीय क्षती का सामना करना पड़ेगा। साथ ही पक्षकारान के मध्य अनेक प्रकार के वाद विवाद बढ़ जायेंगे। प्रार्थी द्वारा ऐसी कल्पना की हैं कि जबरदस्ती निर्माण करवा देने से अपूरणीय क्षति होगी। अतः बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से प्रा0पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतएवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.26 16:59:10 IST
Reason: SelfAttested

2.

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
...नगर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या :– 32/2019(2019/00019)
अन्तर्गत धारा :– 212 आर.टी.एक्ट

–::आदेश::–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु साबित होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि ग्राम ढोसर पटवार हल्का ढोसर तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी एवं विपक्षी तथा वाद पत्र में संयोजित सह खातेदार प्रतिवादी संख्या एक लगायत चार के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1128 रकबा 0.48 हे0 कृषि भूमि अन्य आराजियात के साथ खाता संख्या 33 पर स्थित है। में प्रार्थी के 1/10 हिस्से व कब्जे काश्त में मूलवाद के ताफैसला किसी प्रकार का निर्माण नहीं करें व न ही बैचान करें।

आदेश दिनांक 19.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (आरएएस अधिकारी) जिला भीलवाड़ा (राज.)

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.26 16:59:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner